न्यायालय माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर (म0प्र0)

R 4266 PBR/16

(58)

1— योगेश पिता राधेश्याम जी अग्रवाल
2— परिणय पिता योगेश अग्रवाल
3— श्रीमती अपूर्वा पति परिणय अग्रवाल
सभी का धंधा—व्यापार, सभी निवासी—विनायक विला
मगजपुरा धार म0प्र0
4— मिलन महल द्वारा प्रोपायटर
योगेश पिता राधेश्याम जी अग्रवाल
परिणय पिता योगेश अग्रवाल
श्रीमती अपूर्वा पति परिणय अग्रवाल
निवासी—त्रिमूर्ति नगर धार म0प्र0..................**निगरानीकर्तागण**

बनाम

1— म0प्र0 शासन द्वारा अनुविभागीय अधिकारी धार
2— श्रीमती मधु पति योगेश अग्रवाल
धन्धा—व्यापार निवासी—त्रिमूर्ति नगर धार ....**विपक्षीगण**

निगरानी अर्ज धारा 50 म0प्र0 भूरासं 1959 मुजब

(अनुविभागीय अधिकारी नगर क्षेत्र धार के सूचना पत्र कमांक 4640/रीडर/2016 दिनांक 16/12/2016 से असंतुष्ट होकर)

मान्यवर महोदय,

सेवा में निगरानीकर्ता का अत्यंता विनम्रता से अर्ज है कि धार शहर नगर पालिका क्षेत्र में निगरानीकर्ता की विधिवत ग्राम मगजपुरा तहसील व जिला धार में स्थित विधिवत व्यवसायिक प्रयोजन हेतु व्यपवर्तित भूमि सर्वे नंबर 41/1 पैकि रकबा 0.242 हैक्टर व सर्वे नंबर 41/3/3 पैकि रकबा 0.244 हैक्टर पर व्यवसायिक कार्य रहा है एक अरसे कर रहा है बरसो से कर रहा है। उक्त भूमि पर विधिक रूप से सर्व अनुमति प्राप्त कर मिलन महल गार्डन के रूप में व्यवसाय का संचालन करता है, जिसकी जानकारी अनुविभागीय अधिकारी धार, तहसील धार व नगर पालिका धार को भी है किसी प्रकार का कोई विरोध नही रहा है न रहने का प्रश्न है कुछ राजनितिक दबाव के कारण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नगर क्षेत्र धार ने सूचना पत्र क्रमांक 4640/रीडर/2016 में यथाकथित सूचना आदि का उल्लेख कर नोटिस दिनांक 16.12.2016 को दिया है जो विचाराधिकार रहित है अवैध है जबकि उनके यहां पूर्व से दस्तावेजी प्रमाण मोजुद है। सभी विधिक को बिना सूचना के मिलन महल गार्डन के प्रोपरायटरगण को बिना सूचना के किसी अन्य मधु अग्रवाल को नोटिस दिया है जो विधिक नहीं है [illegible]

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4266-पीबीआर/2016 जिला धार

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07-03-19	प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 30-5-2019 को जिला कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो। अध्यक्ष	